प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 3321/2015

श्रीमती. हुलसी यादव, पति प्रीतम यादव, लगभग 28 वर्ष , निवासी वार्ड सं 3, गोधमपुर, अंबिकापुर, पुलिस थाना तथा पोस्ट अंबिकापुर, नागरिक तथा राजस्व जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ 3.आयुक्त, सरगुजा प्रभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत, लुंड्रा, सरगुजा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

5. चयन समिति/सामान्य प्रशासन समिति, अपने अध्यक्ष के द्वारा, जनपद पंचायत, लुंड्रा, सरगुजा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

6. श्रीमती. शारदलता पुरिया, पति राजेश पुरिया, निवासी गाँव पडौली, तहसील धौरपुर, पुलिस थाना तथा पोस्ट लुंड्रा, नागरिक तथा राजस्व जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :श्री मनोज परांजपे और श्री कबीर कलवानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या1 से 3/राज्य हेतु :डॉ. सुरेंद्र कुमार देवांगन, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी संख्या 4 और 5 हेतु :श्री अर्पित अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी सं 6 हेतु :श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

16/04/2025

1.इस रिट याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति देने से इंकार करना न्यायोचित है कि वह चयन की तिथि/नियुक्ति की तिथि को या उससे पहले जीवित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही है?

2. उपर्युक्त विधि प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार के लिए उत्पन्न होता है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जनपद पंचायत लुण्ड्रा ने शिक्षाकर्मी ग्रेड–III के पद के लिए 11–1–2008 को विज्ञापन जारी किया था तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9–2–2008 थी। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 6, दोनों ही ओबीसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। याचिकाकर्ता का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र 2–6–2008 तक वैध था तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसकी वैधता समाप्त हो गई तथा अंततः 29–5–2009 को मेरिट सूची जारी की गई तथा 30–5–2009 को उत्तरवादी क्रमांक 6 एवं दो अन्य अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया। यद्यपि याचिकाकर्ता अधिक योग्य थी, किन्तु उसके पास 30–5–2009 की स्थिति में स्थायी जाति प्रमाण पत्र/अस्थायी जीवित जाति प्रमाण पत्र नहीं था, तथापि कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लुण्ड्रा को लिखे गए पत्र दिनांक 5–6–2009 द्वारा यह कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा काउंसलिंग की तिथि तक स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें नियुक्ति से रोका न जाए तथा उन्हें 15 दिवस के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया जाए।याचिकाकर्ता को 6–6–2009 को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उस समय तक उत्तरवादी संख्या 6 का नियुक्ति आदेश 30–5–2009 को ही जारी कर दिया गया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता और तीन अन्य पीड़ित व्यक्तियों द्वारा कलेक्टर, जिला सरगुजा के समक्ष अपील दायर की गई और अंततः अतिरिक्त कलेक्टर ने दिनांक 28–4–2010 के आदेश (अनुलग्नक पी–2) के तहत अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संख्या 6 और दो अन्य के नियुक्ति आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता और तीन अन्य उम्मीदवार उत्तरवादी संख्या 6 से अधिक योग्य हैं।अपर कलेक्टर के आदेश को उत्तरवादी संख्या 6 और दो अन्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तीन अलग–अलग रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई और इस न्यायालय ने दिनांक 22–2–2013 के आदेश (अनुलग्नक पी–

3) द्वारा रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि यह सकारण आदेश नहीं था, और मामले को दोनों पक्षों को सुनने के बाद नए सिरे से निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को वापस भेज दिया।30–7–2013 (अनुलग्नक पी–4) को कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा ने याचिकाकर्ता और तीन अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश पारित किया, जिसे कमिश्नर, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आगे की अपील में दिनांक 13–7–2015 (अनुलग्नक पी–1) के आदेश द्वारा पुष्टि की, जिसके कारण यह रिट याचिका दायर की गई।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने प्रस्तुत किया कि निस्संदेह और निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता के पास 2–6–2008 तक वैध जीवित जाति प्रमाण पत्र था, जबकि शिक्षाकर्मी ग्रेड–III के पद के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9–2–2008 थी और इस बीच, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई, 29–5–2009 को मेरिट सूची जारी की गई और प्रतिवादी क्रमांक 6 और दो अन्य को 30–5–2009 को नियुक्त किया गया। यद्यपि, याचिकाकर्ता ने 6–6–2009 को अनुलग्नक पी–6 के तहत स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इसलिए उसे नियुक्ति का दावा करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह उत्तरवादी संख्या 6 से अधिक योग्य है। इस प्रकार, कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को आयुक्त द्वारा पुष्टि किए जाने को अपास्त किया जाना चाहिए और रिट याचिका को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता डॉ. सुरेन्द्र कुमार देवांगन ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि राज्य औपचारिक पक्ष है और कलेक्टर और कमिश्नर ने अर्ध न्यायिक क्षमता में काम किया है, इसलिए यह उत्तरवादी क्रमांक 4 – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लुंड्रा है, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 6 की नियुक्ति के लिए उसके द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करना है।

6. उत्तरवादी क्रमांक 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्पित अग्रवाल ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति की तिथि को या उससे पूर्व स्थायी अथवा अस्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए जनपद पंचायत लुण्ड्रा के पास उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने तथा उत्तरवादी क्रमांक 6 को शिक्षाकर्मी ग्रेड–III के पद पर नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तथा इसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि उसके पास जाति प्रमाण–पत्र था तथा उसने नियुक्ति की तिथि से पूर्व कुछ विलम्ब से उसे प्रस्तुत किया, ऐसे में रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।7. उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया तथा श्री अर्पित अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया तथा कहा कि रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्मता से अध्ययन किया है।

9. यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि अर्थात 09–02–2008 को अस्थायी जीवित जाति प्रमाण पत्र था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित है, जैसा कि दिनांक 11–01–2008 के विज्ञापन में उल्लेख किया गया था, जो 02–06–2008 को समाप्त हो गया तथा मेरिट सूची 29–5–2009 को जारी की गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 की नियुक्ति आदेश 30–05–2009 को जारी किया गया।यद्यपि याचिकाकर्ता अधिक योग्य थी, लेकिन उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि नियुक्ति की दिनांक को उसके पास वैध स्थायी जाति प्रमाण पत्र या अस्थायी जीवित जाति प्रमाण पत्र नहीं था, जो उसने अंततः कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लुंड्रा को जारी ज्ञापन दिनांक 05–06–2009 के अनुसरण में 06–06–2009 को प्राप्त किया था।

10. इस आदेश के कंडिका 1 में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर लाभप्रद रूप से ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि क्या कोई उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी के तहत एक परीक्षा में उपस्थित हुआ और विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र जमा किया, वह ओबीसी श्रेणी के तहत पद पर चयन के लिए पात्र है या नहीं? प्रकरण पर पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद विद्वान न्यायाधीशो ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरक्षित (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित कट–ऑफ दिनांक के भीतर जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जमा न करना, अन्यथा चयनित उम्मीदवार को केवल इसी आधार पर अयोग्य बनाता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39–ए के तहत अवसर की समानता से इनकार करने के बराबर होगा।रिपोर्ट के कंडिका 14 तथा 18 में विद्वान न्यायाधीशो का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:–––

"14. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्पा **2** में दिए गए निर्णय पर विचार न करके त्रुटि की। उस प्रकरण में**,** उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से यह अभिनिर्धारित किया है कि उसमें याचिकाकर्ता ओबीसी श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनंतिम चयन सूची प्रकाशित होने से पहले ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के हकदार थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूरी स्थिति की सही ढंग से परीक्षा की**,** न कि किसी पांडित्यपूर्ण तरीके से**,** बल्कि आरक्षित श्रेणियों को दिए गए आरक्षण के उद्देश्य की पृष्ठभूमि में**,** और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ **3** और वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय **4** में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए पुष्पा **2** में विद्वान एकल न्यायाधीश ने तेज पाल सिंह **5** में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी विचार किया**,**जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही यह राय बना ली थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी केवल जाति प्रमाण पत्र देरी से जमा करने के कारण खारिज नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, पुष्पा 2 में दिया गया निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की स्थिति के अनुरूप है, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है।उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पलटने में त्रुटि की, बिना इस न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा इंद्रा साहनी 3 और वलसम्मा पॉल 4 में निर्धारित प्रश्न पर बाध्यकारी मिसाल पर ध्यान दिए, जिसमें इस न्यायालय ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39–ए की व्याख्या के बाद माना कि समाज के एससी/एसटी और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार में असमानता को दूर करना है, क्योंकि इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार सदियों के उत्पीड़न और अवसर से वंचित होने के परिणामस्वरूप सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।संविधान की प्रस्तावना के साथ–साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39–ए में परिकल्पित आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पलटने में त्रुटि की है। इसलिए, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 562/2011 में युगल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि विधिक त्रुटि से भी ग्रस्त है क्योंकि यह इंद्रा साहनी 3 और वलसम्मा पॉल 4 में इस न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी मिसाल का पालन करने में विफल रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश 6 को अपास्त किये जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है ।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 7 में पारित दिनांक 24–11–2010 के निर्णय और आदेश को पुनः स्थापित किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **कर्ण सिंह यादव बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार एवं अन्य 8** के मामले में **राम कुमार गिजरोया (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय की सत्यता पर संदेह किया गया था और मामले को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया था। अंततः, 28–9–20229 के आदेश द्वारा, राम कुमार गिजरोया 1 (सुप्रा) में पहले के निर्णय अवलम्ब लेते हुए, उसमें अपीलकर्ता को अनुतोष देने से इनकार करते हुए, विद्वान न्यायाधीशो ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अपीलकर्ता (उसमें) को कभी भी प्रश्नगत पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और इस लंबे समय में, अपीलकर्ता (उसमें) को कोई पर्याप्त अनुतोष देना संभव नहीं होगा।उस प्रकरण में भी अपीलकर्ता ने

ओबीसी से संबंधित व्यक्ति के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, तथापि प्राधिकारियों ने उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उस समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण देने वाले दस्तावेज कट–ऑफ तिथि से पहले प्रस्तुत नहीं किए गए थे।12. **राम कुमार गिजरोया (सुप्रा) और कर्ण सिंह यादव (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में यद्यपि याचिकाकर्ता के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 9–2–2008 से पहले जीवित जाति प्रमाण पत्र था, लेकिन इसकी वैधता 2–6–2008 को समाप्त हो गई और काउंसलिंग की तिथि अर्थात 24–2–2009 को याचिकाकर्ता के पास वैध जीवित जाति प्रमाण पत्र नहीं था, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी और अंततः, 29–5–2009 को मेरिट सूची जारी की गई और अंततः, 30–5–2009 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 को ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षाकर्मी ग्रेड– III के पद पर नियुक्त किया गया, हालांकि वह याचिकाकर्ता से कम मेधावी है, वैध जाति प्रमाण पत्र के अभाव में जो यह प्रमाणित करता है कि याचिकाकर्ता ओबीसी श्रेणी से संबंधित है।इस मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलों को कलेक्टर और आयुक्त द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है, जिसमें मुझे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई अवैधता या अनियमितता नहीं लगती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिणामस्वरूप, मुझे इस रिट याचिका में कोई सार नहीं दिखता है,अतः यह खारिज किए जाने योग्य है तथा तदनुसार इस याचिका को खारिज किया जाता है। पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करना होगा।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur